निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 चैत्र 1943 (श0)

(सं0 पटना 199) **पटना, बुधवार 24 मार्च 2021**

lkekU; i:'kklu foHkkx

अधिसूचना

19 मार्च 2021

सं० 7/स्था0–1–4–05/2011–**3923**/सा0प्र0—भारत–संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उच्च न्यायालय, पटना एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के परामर्श से, बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**।– (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) (संशोधन) नियमावली, 2021 कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्त्ती) नियमावली, 1955 में परिशिष्ट 'च' के खंड–3 के अंत में परन्तुक निम्नरूपेण जोड़ा जायेगा।–**

"परन्तु द्वितीय श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदत्त किये जाने की अवधि के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में किसी पदाधिकारी का मूल्यांकन निर्धारित मानदण्डों से कम होना उसकी प्रोन्नति के लिए विचारण में अनर्हता नहीं माना जायेगा"।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शालिग्राम पाण्डेय,
सरकार के अवर सचिव (प्र0)।

General Administration Department

Notification

19th March 2021

No-7/Astha.-1-4-05/2011-**3923**/ GAD—In exercise of the powers conferred by Article 234 of Constitution of India the Governor of Bihar in consultation with High Court, Patna and Bihar Public Service Commission is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:-

Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2021

1. ***Short title and commencement. –***
   (1) This Rules may be called the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) (Amendment) Rules, 2021.
   (2) It shall come into force at once.

2. **The following Proviso be inserted at the end of Clause 3 of Appendix-'E' to the Bihar Civil Service (Judicial Branch) (Recruitment) Rules, 1955:**

“Provided that appraisal of the period during which the officer was conferred the power of Judicial Magistrate 2nd Class shall not be considered as a disqualification for the purpose of promotion if the same falls short of the parameters prescribed”.

By order of the Governor of Bihar
Shaligram Pandey,
Under Secretary (I) to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 199-571+200 डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in